उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील नम्बर 1665/2019

(एस0एल0पी0 (सिविल नम्बर 33757/2018) से उद्भेदित

सुनीता व अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य परिवहन कॉर्पोरेशन व अन्य

निर्णय

ए0एम0 खांवडीलिकर, न्यायाधीश

1. अनुमति दी गयी

2- यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के आदेश दिनांक 25.07.2018 एस0बी. सिविल मिस0 अपील नम्बर 521/17 से व्यथित होकर पेश की गयी जिसमें राजस्थान राज्य परिवहन कॉर्पोरेशन प्रतिवादी संख्या 1 जो वाहन स्वामी है उसकी अपील स्वीकार होने के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर के निर्णय को अपास्त किया गया जिसमें अपीलार्थी/आवेदकगण के पक्ष में उनके

परिवारजन, सीताराम के पक्ष में दावा निर्णीत किया गया था एवं एस0बी0सी0एम0ए0 अपीलार्थी द्वारा प्रतिकर राशि की अपील को बढ़ाने की अपील को भी खारिज कर दिया गया।

3. संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अक्टूबर 2011 को प्रातः 7 बजे सीताराम (जो अपीलार्थी नम्बर 1 का पति एवं अपीलार्थी नम्बर 2 व 3 (अवयस्क) का पिता है जो एक मोटर साईकिल जिसका रजि0 नम्बर आरजे. 25 एसएस0 6923 और जिसमें एक अन्य सवार जो पीछे बैठा था उसका नाम राजूलाल खटीक जो उल्टी दिशा से आ रही है से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो वाहन प्रतिवादी संख्या 1 का था एवं प्रतिवादी संख्या 2 गफलत ने एवं तेज रफ्तार से चला रहा था। जिसका पंजीयन नम्बर आरजे 26 पीए 0042 है। इस दुर्घटना में चालक सीताराम की मृत्यु हो गयी एवं पीछे बैठे राजूलाल खटीक के गंभीर चोटे आई। इसके पश्चात् अपीलार्थी एवं मृतक के परिजन द्वारा दो दावे न्यायाधीकरण वास्ते प्रतिकर के समक्ष पृथक् तौर पर पेश किये गये। सीताराम जो कि सरकारी स्कूल में शिक्षक पद पर पर पदस्थापित था एवं प्रतिकर राशि रुपये2,62,02,408/– एवं 1,13,42,984/– की मांग की गयी।

4. प्रतिवादी द्वारा उक्त दावे का विरोध किया गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि बस द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं की गयी। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मृतक सीताराम द्वारा गलती से एवं गफलत में वाहन चलाया जा रहा था एवं उल्टी दिशा पर उसका वाहन चल रहा था एवं वह मोटर साईकिल चलाना नहीं जानता था। उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं था एवं उसने सर पर हैलमेट भी नहीं लगा रखा जो कि यातायात नियमों के विरुद्ध था। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य एवं गवाह जो पत्रावली पर उपलब्ध है उन पर शंका की गयी।

5- प्राधिकरण द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.12.2016 में जो साक्ष्य पत्रावली में आयी उसकी पूर्ण रूप से विवेचना की गयी। प्राधिकरण द्वारा जो साक्ष्य मृतक की पत्नी सुनीता द्वारा दी गयी जो दुर्घटना के कारण सीताराम की मृत्यु से संबंधित है उसकी विवेचना की गयी। मृतक के पिता मूलचंद किराड़(एडी 3) जो न्यायालय में परिक्षित हुए हैं और उन्होंने दुर्घटना के बारे में साक्ष्य दी। प्राधिकरण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 247/11 (प्रदर्श) चार्जशीट (प्रदर्श 2) अंतर्गत धारा 279, 337 एवं 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं 134/187 मोटर वाहन अधिनियम की भी विवेचना की गयी। यहॉ यह उल्लेख करना उचित है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त

एफआईआर एवं चार्जशीट को किसी भी अधिकरण में चुनौती नहीं दी गयी।

6. प्राधिकरण द्वारा भागचंद खटीक एडी–2 की विवेचना की गयी, यह वह गवाह है जो कहता है कि वह अपने भाई के घर जो सिवाड़ ग्राम में स्थित है दुर्घटना से एक दिन पहले गया था। दुर्घटना के समय वह शौच करने गया था और वह रोड के बांये हाथ की तरफ चल रहा था एवं उसने यह देखा कि एक मोटर सर्ाईकिल जिसका नम्बर आरजे 25, एसए 6923, जो सड़क के बांयी तरफ चल रही थी जिसकी दुर्घटना बस नम्बर आरजे 26, पीए 0042 जो कि गलत दिशा से तेजी से आ रही थी, जिसके परिणामस्वरूप वाहन चालक की तुरन्त मृत्यु हो गयी। यह साक्ष्य यह बतलाता है कि वह बस बनवारी (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा चलायी जा रही थी। उसकी जिरह में वह यह बतलाता है कि उसने बनवारी (प्रतिवादी संख्या 2) को दुर्घटना के बाद नहीं देखा एक सवारी जो पीछे बैठी थी, वह उस व्यक्ति की आयु नहीं जानता।

7- प्रतिवादी द्वारा भागचंद एडी 2 की साक्ष्य को चुनौती दी इस आधार पर कि उसका नाम चार्जशीट (प्रदर्श–2) की गवाह सूची में अंकित नहीं है और वह उस स्थान पर मौजूद नहीं था जहां पर दुर्घटना हुई। यह गवाह ग्राम पखाला का निवासी है

जो दुर्घटना के स्थान से 3 किमी0 की दूरी पर स्थित है। इन आपत्तियों के बावजूद भी, प्राधिकरण ने भागचंद की गवाही को सही माना। प्राधिकरण यह प्रतिपादित किया गया है कि हर प्रत्यक्षदर्शी गवाह द्वारा का चार्जशीट में नाम होना आवश्यक नहीं है एवं प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई प्रश्न भागचन्द से नहीं पूछा गया जो उसकी साक्ष्य को खण्डित करता हो। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा भागचंद से यह नहीं पूछा गया कि क्या उसके द्वारा पुलिस में कोई कथन किये गये। भागचंद द्वारा यह कहा गया कि दुर्घटना वाले दिन अपने भाई के निवास ग्राम सिवाड़ में था जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रत्यक्षदर्शी गवाह ना हो।

8- प्राधिकरण द्वारा यह कहा गया कि प्रतिवादी नम्बर 2 जो बस चालक है जो गवाह के तौर पर परीक्षित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त नक्शा मौका प्रदर्श–3 वह स्थान है जहां रोड में घुमाव है फिर भी वहां तेज गति से चलाया जा रहा था। यह परिप्रेक्ष्य भागचंद खटीक एडी–2 की साक्ष्य को चुनौती नहीं दी गयी, प्रतिवादी द्वारा वाहन गफलत एवं तेज गति में चलाया जा रहा था इसके भी कोई प्रश्न नहीं पूछे गये। प्रतिवादी द्वारा यह नही दर्शाया गया कि उनके द्वारा चार्जशीट प्रदर्श 2 को चुनौती दी गयी। प्राधिकरण द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 4 का हवाला दिया गया जिसमें मृतक की मृत्यु

शरीर पर कई अस्थिभंग से आये शौक से हुई। प्राधिकरण द्वारा नोटिस अंतर्गत धारा 134 (प्रदर्श 7) जिसमें उनके द्व ारा कोई कथन वाहन चालक के गफलत द्वारा नहीं किया गया। समग्र रूप से आयी साक्ष्य से प्राधिकरण द्वारा यह कहा गया कि मृतक सीताराम द्वारा कोई गफलत नहीं की गयी, प्रतिवादी नं0 2 द्वारा तेज गति एवं गफलत से यह प्राणघातक दुर्घटना हुई।

9. प्राधिकरण द्वारा धारा 133 (प्रदर्श 7) जिसमें सहायक यातायात निरीक्षक, टोंक बस आगार जिसमें कहा गया कि उक्त वाहन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा चलाया जा रहा था प्राधिकरण द्वारा यह भी परीक्षित किया गया कि धारा 134 (प्रदर्श 7) प्रतिवादी संख्या 2 उक्त वाहन को उस दिन उस जगह चलाया जा रहा था। प्राधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1 के नियोजन में था और दुर्घटना के समय उस बस का चालक था।

10-उक्त निष्कर्षों से, प्राधिकरण द्वारा दोनों दावे आंशिक रूप से स्वीकार किये गये। आयकर की कटौती के बाद जो आय सीताराम द्वारा अर्जित की गयी, प्राधिकरण द्वारा रुपये 4833235/– संयुक्त एवं पृथक् तौर पर मृतक के माता–पिता

को मय ब्याज देने के आदेश पारित किये। प्राधिकरण द्वारा यह उल्लेख किया गया कि जो साक्ष्य पत्रावली पर आयी है सुनीता (अपीलार्थी नम्बर 1) जो मृतक की पत्नी है एवं मृतक के साथ उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है प्रतिकर राशि को इस हिसाब से बांटा जाये कि अपीलार्थी को 38,33,235 एवं बचे हुए 10,00,000/– रुपये मृतक के माता–पिता को दिये जाये।

11-अपीलार्थी आयकर की कटौती से व्यथित होकर उनके द्वारा एक एसबी सिविल मिस0 अपील नम्बर 581/2017 एवं प्रतिवादी द्वारा एसबी सिविल मिस0 अपील नम्बर 521/2017 एवं एसबी सिविल मिस0 अपील नम्बर 522/2017 राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में पेश की गयी। उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.7.2018 प्राधिकरण के निर्णय को अपास्त कर दिया गया, इस आधार पर कि पीछे बैठे राजूलाल खटीक का न्यायालय में परीक्षित ना होना अपीलार्थी केस के लिये घातक है, गवाह भागचंद एडी 2 की साक्ष्य अयोग्य है एवं उसकी साक्ष्य को सराह नहीं जा सकता एवं नक्शा मौका (प्रदर्श 3) में मृतक सीताराम अपनी मोटर साईकिल गलत रास्ते पर चला रहा था जब वह दुर्घटना हुई जिससे यह प्रमाणित होता है कि सीताराम, ना कि प्रतिवादी नम्बर 2 वाहन चालक गफलत में गाड़ी चलाने

का दोषी है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के द्वारा अपीलों को स्वीकार किया गया एवं प्राधिकरण के निर्णय को अपास्त किया गया एवं अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज किया गया।

12-हमने श्री अनुज भण्डारी विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से एवं श्री एस0के0 भट्टाचार्य विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी को सुना श्री भण्डारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मोटर दुर्घटना दावे संक्षिप्त प्रक्रिया है एवं उसमें यह देखना है कि तुलनात्मक प्रतिकर राशि दी गयी एवं इस सिद्धांत पर कार्य करना है कि संभावनाओं की अधिकता हो ना कि युक्तियुक्त संदेह से परे जैसे कि आपराधिक मामलों में होता है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि भागचंद एडी 2 की साक्ष्य को प्राधिकरण द्वारा माना गया एवं उसकी साक्ष्य को उच्च न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि जो फौजदारी मुकदमा दर्ज हुआ उसमें वह साक्ष्य नहीं हुआ एवं वह चालक के पीछे सवारी का नाम नहीं बता सका। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि न्यायालय में गवाह का परीक्षित ना होना अपीलार्थी के दावे को घातक नहीं बनाता एवं सिर्फ इसी आधार पर उसका दावा खारिज नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त उनका यह कथन रहा कि पीछे बैठे सवारी राजूलाल खटीक के कथनाअंतर्गत धारा 161

सीआरपीसी पुलिस द्वारा लेखबद्ध किये गये जिमसें उसने यह कथन किया है कि बस चालक तेज गति से एवं गफलत में और उल्टी दिशा में गाड़ी चला रहा था,यद्यपि वह इस मुकदमे में गवाह ना हो परंतु पुलिस द्वारा पेश अपनी अंतिम रिपोर्ट अंतर्गत धारा 173 सीआरपीसी में लेखबद्ध किये गये, सिर्फ इसी आधार पर वह न्यायालय में परीक्षित नहीं हुआ उसके कथन को छोड़े नहीं जा सकते।

13. श्री भण्डारी यह तर्क दिया गया कि मोटर साईकिल गलत दिशा से आ रही थी उच्च न्यायालय द्वारा इस तथ्य को प्राधिकरण के तथ्य से विपरीत निष्कर्ष निकाला गया सिर्फ नक्शा मौका (प्रदर्श 3) के आधार पर उनके द्वारा यह तर्क दिया गया नक्शा मौका से यह तर्क दिया गया कि मोटर साईकिल से दुर्घटना के बाद बस आगे बिजली के खंभे से टकरायी जो दुर्घटना स्थान से भी आगे था न्यायाधिकरण का निर्णय न्याय सिद्धांतों के अनुरूप था अतः उच्च न्यायालय द्व ारा प्राधिकरण के निर्णय को अपास्त करना घोर कानूनी चूक है। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में उक्त न्याय दृष्टांत पेश कर कुसम लता एवं अन्य बनाम सतबीर एवं अन्य बिमला देवी एवं अन्य यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एवं शीला दत्ता एवं अन्य एवं दुलचीना फर्नाडीज एवं अन्य बनाम जोएक्यूम एक्सवियर कूज एवं अन्य पेश किये गये।

14.इसके विपरीत एस के भट्टाचार्य द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकरण द्वारा निर्णय न्यायोचित नहीं है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ना तो निष्पक्ष गवाह है और ना ही भागचंद की साक्ष्य विश्वसनीय है एवं उसका नाम भी गवाहों की सूची में नहीं है एवं पीछे बैठी सवारी की उम्र की पहचान नहीं कर सका। हालांकि यह गवाह मोटर साईकिल का नम्बर एवं बस का नम्बर को बता पाया जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गवाह को पढ़ाया गया एवं अस्वाभाविक गवाह है। श्री भट्टाचार्य द्वारा यह तर्क दिया गया कि गवाह राजूलाल खटीक जो पीछे बैठी सवारी थी वह चार्जशीट में तो गवाह परंतु इस मुकदमे में गवाह नहीं है।

15-श्री भट्टाचार्य यह तर्क दिया गया कि दो सिद्धांत कि आवश्यकता होती है किसी साक्ष्य की विवेचना में पहली रेस इपसा लोकेटर एवं संभावनाओं की प्रबलता इस सिद्धांत से अपीलार्थी/आवेदनकर्ता पर यह अधिरोपित करता है कि सीताराम गफलत में गाडी नहीं चला रहा। तथ्य से यह प्रकट होता है कि दुर्घटना सड़क के बीच में हुई, गलती छोटे वाहन की थी यानि कि मोटर साईकिल की। चूंकि बस तेज चल रही थी इसका मतलब यह नहीं कि बस लापरवाही से चल रही थी। पत्रावली पर आये साक्ष्य से यह साबित नहीं होता कि गलती प्रतिवादी नम्बर 2 चालक की थी संभावनाओं की

प्रबलता के सिद्धांत को देखते हुए एवं कोई साक्ष्य ऐसी नहीं आयी कि बस चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। अंशदायी लापरवाही का विवेचना नहीं की गयी मृतक सीताराम के परिप्रेक्ष्य में एवं अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी की लापरवाही साबित नहीं हुई।

16. श्री भट्टाचार्य द्वारा यह तर्क दिया गया कि ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी कि मृतक के माता पिता मृतक पर आश्रित थे सीताराम स्वीकृत तौर पर कुंवारा नहीं था ना ही वह अपने माता पिता के साथ रह रहा था।

17. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जो प्रश्न हमारे सामने है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण के निर्णय को अपास्त करना उचित है। क्या उच्च न्यायालय द्वारा मोटर साईकिल सवारी द्वारा लापरवाही की गयी जिससे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा चलायी गयी बस से दुर्घटना हुई।

18. यह कि अनुच्छेद 136 भारतीय संविधान का दायरा कितना है हमें ज्ञात है। अमुमन तौर पर यह न्यायालय साक्ष्य की पुनः विवेचना नही करता। परन्तु निश्चित तौर पर यदि अपील में पारित आदेश किसी तरह गलत है तो यह न्यायालय उक्त न्यायालय की खोज पर पुनः परीक्षित कर सकता है।

19. प्राधिकरण द्वारा अपने 24 पन्ने के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा 5 पन्ने के निर्णय से पलट दिया गया उच्च न्यायालय के निर्णय को हम नीचे दोहराते है।

"In order to prove Issue No.1 claimants examined AW-2 Bhagchand. The said witness deposed that on 28-10-2011. While he was returning after answering the call of nature, he saw that a motorcycle was coming from village Manhanpura side. The Roadways but came from result one person, who was sitting that one more person was also sitting on the motorcycle. However, he could not tell if he said person was young, old or a child.

FIR Exhibit P-1 was lodged by Kailash Chand with regard to the accident in question. A perusal of the same reveals that the motorcycle was being driven by Sita Ram and Raju Lal Khateek was sitting on the pillion seat. Best eye witness in the present case can be said to be Raju Lal Khateek, who was travelling with the deceased at the time of accident. However, Raju Lal Khateek has not been examined by the claimants before the Tribunal. The name of Bhagchand is not shown in the list of witnesses as an eye witness in the criminal case. In the criminal case, Raju

Lal Khateek has been shown as an eye witness. A perusal of the site plan Exhibit P-3 reveals that the bus was going on its correct side of the road, whereas, the motorcycle was coming on the wrong side of the road, had struck against the bus.

In the facts and circumstances of the present case, no reliance can be placed on the statement of AW-2 even Bhagchand, who had been examined by the claimaints as an eye witness to the accident. The said witness could not even tell in his cross examination with regard to the age of the person, who was sitting on the pillion seat. Thus, the learned Tribunal fell in error in deciding Issue No 1 in favour of the claimants. Accordingly, finding of the Tribual on Issue No. 1 is reversed and the said issue is decided against the claimants."

यह विवेचना हमने उच्च न्यायालय के आदेश पैरा संख्या 5 से 9 की है जिसके द्वारा प्राधिकरण द्वारा विस्तृत आदेश को पलटा गया उच्च न्यायालय द्वारा यह कारण बताये गये कि भागचंद (एडी 2) एक विश्वसनीय गवाह नहीं था क्योंकि उसका नाम चार्जशीट की गवाह सूची में नहीं था एवं वह मोटर साईकिल में पीछे बैठे सवारी, राजूलाल खटीक की सही उम्र नही

बता पाया एवं राजूलाल खटीक सर्वश्रेष्ठ गवाह था उसे अपीलार्थी द्वारा न्यायालय में परीक्षित नहीं किया गया। उच्च न्यायालय में नक्शा मौका पर इस बिन्दु पर अत्यधिक विश्वास किया गया।

20.यहॉ हमे यह कहते तनिक भी संकोच नही हो रहा कि उच्च न्यायालय द्वारा इस हाइपर तकनीकी पर विश्वास किया गया इन प्रतिकर के मुकदमों में जो कि मोटर दुर्घटना से उत्पन्न हुए है जिसमें किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु हुई। हाल ही में इस न्यायालय द्वारा मंगला राम ओरियेन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि0 व अन्य 2018 5एससीसी0 656 (जिसमें कि खानविलकर न्यायाधीश जो उस इस मुकदमे में भी न्यायाधीश है) इस न्यायालय द्वारा किस दिशा का अख्त्यार करना है इस मामले में उसकी विवेचना की गयी। उस मुकदमे में न्यायालय एक मोटर साईकिल एवं जीप के मुकदमे की विवेचना कर रहा था। जहां प्राधिकरण ने एफआईआर एवं चार्जशीट पर भरोसा किया एवं परिवादी एवं गवाहों के कथनों पर, उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण के निर्णय को पलट दिया गया एवं यह कहा गया कि पुलिस रिकार्ड पर्याप्त नहीं है किसी फाईडिंग तक पहुचने के लिये। इस न्यायालय द्वारा ऐसी पहुंच को सही नहीं माना एवं अस्वीकार किया।

’22- The question is: whether this approach of the High Court can be sustained in law? While dealing with a similar situation, this Court in Bimla Devi(supra)noted the defence of the driver and conductor of the bus which interalia was to cast a doubt on the police record indicating that the person standing at the rear side of the bus, suffered head injury when the bus was being reversed without blowing any horn. This Court observed that while dealing with the claim petition in terms of Section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Tribunal stricto sensu is not bound by the pleadings of the parties, its function is to determine the amount of fair compensation. In paragraphs 1115, the Court observed thus:

“11. While dealing with a claim petition in terms of Section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988, a tribunal stricto sensu is not bound by the pleadings of the parties; its function being to determine the amount of fair compensation in the event an accident has taken place by reason of negligence of that driver of a motor vehicle. It is true that occurrence of an accident having regard to the provisions contained in Section 166 of the Act is a sine

qua non for entertaining a claim petition but that would not mean that despite evidence to the effect that death of the claimant's predecessor had taken place by reason of an accident caused by a motor vehicle, the same would be ignored only on the basis of a postmortem report visàvis the averments made in a claim petition.

12. The deceased was a constable. Death took place near a police station. The postmortem report clearly suggests that the deceased died of a brain injury. The place of accident is not far from the police station. It is, therefore, difficult to believe the story of the driver of the bus that he slept in the bus and in the morning found a dead body wrapped in a blanket. If the death of the constable had taken place earlier, it is wholly unlikely that his dead body in a small town like Dharampur would remain undetected throughout the night particularly when it was lying at a busstand and near a police station. In such an event, the court can presume that the police officers themselves should have taken possession of the dead body.

13. The learned Tribunal, in our opinion, has rightly proceeded on the basis that apparently there was

absolutely no reason to falsely implicate Respondents 2 and 3. The claimant was not at the place of occurrence. She, therefore, might not be aware of the details as to how the accident took place but the fact that the first information report had been lodged in relation to an accident could not have been ignored.

14. Some discrepancies in the evidence of the claimant's witnesses might have occurred but the core question before the Tribunal and consequently before the High Court was as to whether the bus in question was involved in the accident or not. For the purpose of determining the said issue, the Court was required to apply the principle underlying the burden of proof in terms of the provisions of Section 106 of the Evidence Act, 1872 as to whether a dead body wrapped in a blanket had been found at the spot at such an early hour, which was required to be proved by Respondents 2 and 3.

15. In a situation of this nature, the Tribunal has rightly taken a holistic view of the matter. It was necessary to be borne in mind that strict proof of an accident caused by a particular bus in a particular manner may not be possible

to be done by the claimants. The claimants were merely to establish their case on the touchstone of preponderance of probability. The standard of proof beyond reasonable doubt could not have been applied. For the said purpose, the High Court should have taken into consideration the respective stories set forth by both the parties." (emphasis supplied)

इस न्यायालय द्वारा इस स्थिति को वर्णित किया गया है कि क्लमेन्ट को संभावनाओं की प्रबलताओं एवं युक्तियुक्त संदेह से परे की स्थिति को प्राधिकरण द्वारा अपनाना है जब वह मोटर दुर्घटना मुकदमो में डील कर रहा है।

23- 12. The other ground on which the High Court dismissed the case was by way of disbelieving the testimony of Umed Singh-PW.1. Such disbelief of the High Court is totally conjectural. Umed Singh is not related to the appellant but as a good citizen, Umed Singh extended his help to the appellant by helping her to reach the Doctor's chamber in order to ensure that an injured woman gets medical treatment. The evidence of Umed Singh cannot be disbelieved just because he did not file a complaint himself. We are constrained to repeat our observation that

the total approach of the High Court, unfortunately, was not sensitized enough to appreciate the plight of the victim.

13. The other so-called reason in the High Court's order was that as the claim petition was filed after four months of the accident, the same is "a device to grab money from the insurance company". This finding in the absence of any material is certainly perverse. The High Court appears to be not cognizant of the principle that in a road accident claim, the strict principles of proof in a criminal case are not attracted.

24- Road accidents are one of the top killers in our country, specially when truck and bus drivers operate nocturnally. This proverbial recklessness often persuades the courts, as has been observed by us earlier in other cases, to draw an initial presumption in several cases based on the doctrine of res ipsa loquitur. Accidents Tribunals must take special care to see that innocent victims do not suffer and drivers and owners do not escape liability merely because of some doubt here or some obscurity there. Save in plain cases, culpability must be inferred from the circumstances where

it is fairly reasonable. The court should not succumb to niceties, technicalities and mystic maybes. We are emphasising this aspect because we are often distressed by transport operators getting away with it thanks to judicial laxity, despite the fact that they do not exercise sufficient disciplinary control over the drivers in the matter of careful driving. The heavy economic impact of culpable driving of public transport must bring owner and driver to their responsibility to their 'neighbour'. Indeed, the State must seriously consider no- fault liability by legislation. A second aspect which pains us is the inadequacy of the compensation or undue parsimony practised by tribunals. We must remember that judicial tribunals are State organs andArticle 41 of the Constitution lays the jurisprudential foundation for state relief against accidental disablement of citizens. There is no justification for niggardliness in compensation. A third factor which is harrowing is the enormous delay in disposal of accident cases resulting in compensation, even if awarded, being postponed by several years. The States must appoint sufficient number of tribunals and the High Courts should insist upon quick disposals so that the trauma and tragedy already sustained

may not be magnified by the injustice of delayed justice. Many States are unjustly indifferent in this regard.

"25. In Dulcina Fernandes v. Joaquim Xavier Cruz, (2013) **10 SCC** 646, this Court examined similar situation where the evidence of claimant's eye- witness was discarded by the Tribunal and that the respondent in that case was acquitted in the criminal case concerning the accident. This Court, however, opined that it cannot be overlooked that upon investigation of the case registered against the respondent, prima facie, materials showing negligence were found to put him on trial. The Court restated the settled principle that the evidence of the claimants ought to be examined by the Tribunal on the touchstone of preponderance of probability and certainly the standard of proof beyond reasonable doubt could not have been applied as noted in Bimla Devi v. Himachal RTC, (2009) 13 **SCC** 530. In paras 8 & 9, of the reported decision, the dictum in United India Insurance Co. Ltd. Vs. ShilaDatta (**2011**) **10 SCC 509**, has been adverted to as under:

"8. In United India Insurance Co. Ltd. v. Shila Datta (**2011**) **10 SCC 509**, while considering the nature of a claim petition under the Motor Vehicles Act, 1988 a three Judge Bench of this Court has culled out certain propositions of which Propositions (ii), (v) and (vi) would be relevant to the facts of the present case and, therefore, may be extracted hereinbelow: (**SCC** p. 518, para **10**) '**10**. (ii) The rules of the pleadings do not strictly apply as the claimant is required to make an application in a form prescribed under the Act. In fact, there is no pleading where the proceedings are suo motu initiated by the Tribunal.

9. The following further observation available in para **10** of the Report would require specific note: (Shila Datta (**2011**) **10 SCC 509**, **SCC** p. 519) '**10**. ... We have referred to the aforesaid provisions to show that an award by the Tribunal cannot be seen as an adversarial adjudication between the litigating parties to a dispute, but a statutory determination of compensation on the occurrence of an accident, after due enquiry, in accordance with the statute.'

"

अतः यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मोटर दुर्घटना वाद में कि जहां वास्तविकता में दुर्घटना हुई है, तब प्राधिकरण को न्यायोचित प्रतिकर राशि अवार्ड करनी है जब दुर्घटना मोटर वाहन चालक के लापरवाही से हुई, प्राधिकरण को पक्षकारों की वाद–विवाद में निहित नहीं रहना है। इन मुकदमों में संभावनाओं की अधिकता पर ज्यादा जोर रहना चाहिये ना कि युक्तियुक्त संदेह से परे जैसा कि फौजदारी मुकदमों में देखा जाता है।

21. इस मामले में हम यह पाते है कि प्राधिकरण द्वारा सही अप्रोच रही है और उन्होंने जो साक्ष्य पत्रावली पर आया है उसका सही अवलोकन किया है जबकि उच्च न्यायालय में कड़ी व्याख्या की है एवं युक्तियुक्त संदेह से परे की धारणा अपनायी है एवं प्राधिकरण का निर्णय अपास्त किया।

22. इस प्रकरण के तथ्य को देखा जाये दोनों वाहन उल्टी दिशा से आ रहे थे जो कि स्थापित है प्राधिकरण ने गवाह एडी 1 की साक्ष्य एवं एडीन 3 की साक्ष्य एवं दस्तावेज जो उनके द्वारा प्रस्तुत किये जैसे कि एफआईआर एवं चार्जशीट जिसमें बनवारी लाल भैरवा (प्रतिवादी संख्या 2) के विरुद्ध अंतर्गत धारा 279, 337, 304, 304ए आईपीसी एवं धारा 134/187 एम.पी. एक्ट आरोपित किया गया कि 28.10.2011 को प्रातः 7 बजे सीताराम एवं उसके पीछे बैठे

राजूलाल खटीक जो मोटर साईकिल संख्या आरजे 25, एसए, 6923 जो ग्राम बपुई से चौथ का बरवाड़ा से डॉग अग्नि बहन के घर जो माहपुरा तिराहे पर जा रहे थे जब बस नम्बर आरजे 26पीए, 0042 जो कि विपरीत दिशा से आ रही है जिससे दुर्घटना हुई एवं सीताराम की मृत्यु हो गई।

23. प्राधिकरण द्वारा यह माना गया कि अपीलार्थी द्वारा यह तर्क कि प्रतिवादी द्वारा एफआईआर एवं चार्जशीट को किसी अधिकारी एवं अधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी गयी। प्रतिवादी द्वारा बचाव लिया गया कि एफआईआर गलत तथ्यों पर दर्ज करायी गयी एवं पुलिस की सांझ गांठ में करायी गयी एवं प्रतिवादी इसकी शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक को दी गयी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी परंतु इस तथ्य के लिये कोई दस्तावेज प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त एफआईआर में अनुसंधान के पश्चात् चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गयी। उच्च न्यायालय द्वारा इसका कई उल्लेख नहीं हुआ।

24. प्राधिकरण के समक्ष, प्रतिवादी संख्या 1 ने इसे अस्वीकार नहीं किया कि प्रतिवादी संख्या 2 उसके नियोजन में नहीं था। प्राधिकरण ने यह भी स्वीकार किया कि मृतक की मृत्यु अस्थि भंग से आये शॉक के कारण हुई। उक्त साक्ष्य कई भी

खण्डित नहीं हुई। प्राधिकरण ने उक्त दस्तावेजों व साक्ष्यों की कोई सही माना है परन्तु उच्च न्यायालय ने इनका उल्लेख कहीं नहीं किया।

25. प्राधिकरण द्वारा एफआईआर एवं चार्जशीट पर भरोसा किया है एवं यह दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 2 की लिप्तता बताते हैं। अगर फौजदारी प्रक्रिया प्रतिवादी नम्बर 2 के विरुद्ध अज्ञात रहती है तो भी क्लेम के दावे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंगलाराम के केस में यह स्थापित है कि आपराधिकता जो फौजदारी कानून की जरूरत है वैसी जरूरत लॉ ऑफ कोर्ट के मुकदमों में नहीं है।

26. हमें कोई संकोच नहीं होता कि प्रतिवादी की बस द्वारा लापरवाही से जिसे प्रतिवादी संख्या 2 चला रहा था सीताराम की मृत्यु हुई।

27. अगला प्रश्न यह है कि भागचंद खटीक एवं गाड़ी के साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी के मुकदमें के लिये घातक है जहां तक भागचंद के साक्ष्य की बात है उच्च न्यायालय का यह मानना है कि उक्त गवाह की गवाही विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उसका नाम गवाहों की सूची में नहीं है और वह मोटर साईकिल में पीछे बैठे सवारी की उम्र नही बता पाया। यह गवाह ग्राम पखाला में रहता है तो 3 किमी0 दुर्घटनास्थल से

दूर है व इस घटना को देख नहीं सकता। प्राधिकरण ने इन आपत्तियों को सही तौर एवं सारता विवेचित किया।

28. भागचंद की साक्ष्य अखंडित रही है उच्च न्यायालय द्वारा यह नहीं देखा कि इस गवाह की जिरह प्रतिवादी द्वारा नहीं की गयी एवं इस बात पर जोर दिया गया कि गवाह भागचंद का नाम गवाह सूची में नही है। परमेश्वरी एवं मंगलाराम के निर्णय में न्यायालय को संभावनाओं की अधिकता को देखना है। मोटर दुर्घटना दावों में न्यायालय को यह देखना है कि जिरह का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अगर यह किया गया है कि तब किसी भी पक्षकार को यह अनुमति नहीं है कि वह यह कह सके कि उसे समुचित अवसर नहीं मिला।

29. जिरह की महत्ता को करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने विस्तृत तौर पर व्याख्या की है .....

30. उच्च न्यायालय में भागचंद की गवाही को इसलिये रद्द कर दिया गया है कि वह गाडी में सवार व्यक्ति की उम्र नहीं बता सका। गवाह की उम्र ना बताने की अयोग्यता इस गवाह को दूषित नहीं करती। एफआईआर एवं उसके पश्चात् चार्जशीट का पेश होना इस गवाह की साक्ष्य को मजबूती देता है।

31. राजूलाल खटीक का न्यायालय में परीक्षित ना होना अपीलार्थी के मुकदमे के लिये घातक नहीं है मोटर दुर्घटना के मुकदमों में न्यायलय में ना परीक्षित होना प्रत्यक्षदर्शियों का नहीं निकालने से ज्यादा आवश्यक है कि जो पत्रावली पर आयी साक्ष्य का विवेचना करना संभावनाओं की प्रबतला के सिद्धांत पर। इस न्यायालय द्वारा डलकिना फर्नाडीज के केस में यह प्रतिपादित किया है कि जो सामग्री पत्रावली पर उपलब्ध है उससे प्राइमा फेसी केस पाया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा लापरवाही बर्ती गयी इस मुकदमे में प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी का दावा मंजूर करना बिना राजूलाल खटीक की गवाही के यह स्थापित करता है कि चालक द्वारा लापरवाही भर्ती गयी।

32. प्राधिकरण द्वारा नोटिस अंतर्गत धारा 134 चालक को दिया गया कि एवं चालक द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि प्राधिकरण के भागचंद के साक्ष्य को अत्यधिक महत्व दिया गया है एवं नक्शा मौका से यह स्थापित हुआ है कि प्रतिवादी संख्या 2 गफजत में गाड़ी चला रहा था और सीताराम सही दिशा में गाड़ी चला रहा था परंतु उच्च न्यायालय द्वारा भागचंद की साक्ष्य को कोई तबज्जो नहीं दी गयी।

33. नक्शा मौका जो कि गवाह एडी द्वारा प्रस्तुत किया गया था उससे यह प्रतीत होता है कि दुर्घटना सड़क के बीच में हुई।

नक्शा मौका के रचयिता पुलिस अधिकारी को न्याायलय में परीक्षित नही कराया गया।

34.गवाह एडी 2 भागचंद द्वारा यह कथन किये गये कि बस का चालक प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा गफलत एवं गलत साईड के आने से दुर्घटना हुई एवं सीताराम की मृत्यु हुर्ह। उच्च न्यायालय द्वारा इस साक्ष्य को कोई तबज्जो नहीं दी गयी जो कि गलत है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा एफआईआर एवं चार्जशीट पर निर्भर किया गया है जो प्रतिवादी नम्बर 2 की लापरवाही बताती है। हम डलकिना फर्नाडीज एवं मंगला राम के निर्णय से सहमत है।

35.प्रतिकर राशि के पर्याप्तता जो प्राधिकरण द्वारा निर्णीत की गयी उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी बल्कि आयकर की कटौती को चुनौती दी गयी ।हम अपीलार्थी के प्रतिकर राशि को बढ़ाने की अपीज के दायरे को परमिट नहीं कर सकते बल्कि प्राधिकरण की राशि को बहाल करने के इच्छुक है।

36.अतः परिणामतः यह अपील उच्च न्यायाय के निर्णय को अपास्त किया जाता है एवं प्राधिकरण के अवार्ड दिनांक 14.12.2016 को यथावत् रखा जाता है।

37. यह अपील स्वीकार की जाती है कास्ट का कोई आदेश नहीं।

ए0एम0. खानविलकर
अजय रस्तोगी
नई दिल्ली
14 फरवरी 2019

अस्वीकरण – इस निर्णय की अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिये उनकी भाषा में कर सकेगें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। हर अधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिये उक्त निर्णयों का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं क्रियान्वयन में भी इसी को उपयोग में लिया जायेगा।